रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-02072025-264286
CG-DL-E-02072025-264286

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2836] नई दिल्ली, सोमवार, जून 30, 2025/आषाढ़ 9, 1947
No. 2836] NEW DELHI, MONDAY, JUNE 30, 2025/ASHADHA 9, 1947

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(मत्स्यपालन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 26 जून, 2025

का.आ. 2903(अ).— केंद्रीय सरकार, तटीय जल कृषि प्राधिकरण नियम, 2024 के नियम 3 के खंड (ञ) के साथ पठित, तटीय जल कृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 (2005 का 24) की धारा 3 के अनुसरण में, स्वदेशी झींगा जिसके अंतर्गत दोनों *पेनियस इंडिकस*, *पी. मोनोडोन, पी. सेमीसुलकैटस, पी. मेरगुइन्सिस, पी. जैपोनिकस* और केंद्रीय सरकार द्वारा अनुज्ञात किसी भी अन्य स्वदेशी प्रजातियों, के लिए निम्नलिखित मार्गदर्शक सिद्धांत अधिसूचित करती है, अर्थात:-

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारंभ** - (1) इन मार्गदर्शक सिद्धांतों का संक्षिप्त नाम समुद्री और खारे जल में स्वदेशी झींगा के बीज उत्पादन और पालन के लिए हैचरी और फार्म मार्गदर्शक सिद्धांत, 2025 है ।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत होंगे।

भाग I

स्वदेशी झींगा हेतु हैचरी के प्रचालन के लिए सुरक्षा उपाय और विनियमन

1. **स्वदेशी झींगा के लिए हैचरी के रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन मानदंड -** (1) तटीय जलकृषि प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट अपेक्षित जैव सुरक्षा सुविधाओं और इन-हाउस संगरोध सुविधा वाली स्वदेशी झींगा बीज उत्पादन में कार्यरत या कार्य करने की आशयित हैचरी, स्वदेशी झींगा ब्रूडस्टॉक को उपाप्त करने या स्वदेशी घरेलू स्रोत से अर्जित करने और इन झींगा के नूप्ली या पोस्ट लार्वा का उत्पादन और विक्रय करने के लिए तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 (2005 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) और तटीय जलकृषि प्राधिकरण नियम, 2024 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा गया है) के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने के लिए पात्र होंगी।

(2) हैचरी प्रचालक उक्त नियमों के प्ररूप 2 में प्राधिकरण को आवेदन प्रस्तुत करेगा, जिसके साथ उक्त नियमों की अनुसूची 2 में यथाविनिर्दिष्ट अपेक्षित दस्तावेज उसके साथ सम्यक रूप से संलग्न करने होंगे तथा उक्त नियमों के नियम 9 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसरण में हैचरी के रजिस्ट्रीकरण के लिए दस हजार रुपए की रजिस्ट्रीकरण फीस का संदाय करना होगा।

(3) स्वदेशी झींगा बीज पालन के लिए हैचरी का अनुमोदन, प्राधिकरण द्वारा उक्त नियमों के नियम 11 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसरण में इस प्रयोजन के लिए प्राधिकरण द्वारा गठित टीम द्वारा हैचरी सुविधाओं के सम्यक् निरीक्षण के पश्चात दिया जाएगा।

(4) हैचरी सुविधाओं में विभिन्न उत्पादन सुविधाओं के भौतिक पृथक्करण या अलगाव के माध्यम से कठोर जैव सुरक्षा नियंत्रण या अवरोधों के निर्माण और प्रक्रिया और उत्पाद प्रवाह नियंत्रणों के कार्यान्वयन के माध्यम से अलगाव होगा।

(5) हैचरी सुविधा में परिसर की परिधि के चारों ओर पर्याप्त ऊंचाई पर दीवार या बाड़ होगी, जिससे पशुओं और अप्राधिकृत व्यक्तियों के प्रवेश को रोका जा सके, जिससे इस मार्ग से रोगाणुओं के प्रवेश के जोखिम को कम करने में मदद मिलेगी, साथ ही समग्र सुरक्षा में सुधार होगा।

2. **स्वच्छता संबंधी अपेक्षाएं.-** (1) हैचरी में प्रवेश अनन्य रूप से इस क्षेत्र में कार्य करने के लिए नियुक्त कार्मिकों तक ही सीमित होगा तथा सुरक्षा कार्मिकों द्वारा सुविधा में प्रवेश करने वाले कार्मिकों का अभिलेख रखा जाएगा।

(2) कर्मचारीवृंद सहित किसी भी व्यक्ति को सुविधा में प्रवेश करने से पहले अनिवार्य रूप से स्नान करने और कार्यस्थल वस्त्र और जूते पहनने के पश्चात् ही प्रवेश की अनुमति दी जाएगी और कार्य पारी के अंत में भी उसी प्रक्रिया का अनुसरण किया जाएगा।

(3) वाहन के टायरों (गेट पर टायर बाथ जिसमें सक्रिय तत्व सोडियम/कैल्शियम हाइपोक्लोराइट घोल 100 पीपीएम से अधिक हो), पैरों (फुट बाथ जिसमें पोटेशियम परमैंगनेट 50 पीपीएम/हाइपोक्लोराइट घोल 20 पीपीएम हो) और हाथों [आयोडीन,पीवीपी (20 पीपीएम और/या 70% अल्कोहल) युक्त बोतलें] को कीटाणुरहित करने का उपबंध किया जाएगा, जिसका उपयोग इकाई में प्रवेश करने और बाहर निकलने पर किया जाएगा।

(4) सभी सफाई रसायन, स्वच्छता रसायन और अन्य इनपुट सामग्री को उत्पादन क्षेत्र के बाहर उचित लेबलिंग के साथ अलग से भंडारित किया जाएगा।

(5) पूरे उत्पादन चक्र के दौरान हैचरी के आस-पास स्वच्छता बनाए रखी जाएगी तथा अपशिष्ट पदार्थों का कोई संचय नहीं होगा।

3. **जल का उपयोग -** (1) हैचरी की प्रत्येक कार्यात्मक इकाई में अन्य सभी जल आपूर्ति प्रणालियों से पृथक स्वतंत्र जल शोधन सुविधा होगी और जल उपयोग को कम करने तथा जैव सुरक्षा में सुधार करने के लिए, विशेष रूप से उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में, हैचरी की प्रत्येक कार्यात्मक इकाई के लिए अलग रि-सर्कुलेशन सिस्टम का उपयोग किया जा सकता है।

(2) हैचरी के लिए जल को सब-सैंड वेल पॉइंट्स, सैंड फिल्टर (गुरुत्वाकर्षण या दबाव), या मेश बैग फिल्टर के माध्यम से प्रारंभिक फिल्टरिंग द्वारा पहले जलाशय या सैटलिंग टैंक में स्रोत जल में मौजूद वेक्टर और रोगजनकों के प्रवेश को रोकने के लिए फ़िल्टर और शोधित किया जाएगा।

(3) क्लोरीनीकरण या ओजोनीकरण द्वारा प्राथमिक कीटाणुशोधन और निपटान के पश्चात्, जल को फिर से एक महीन फिल्टर के साथ फ़िल्टर किया जाएगा और फिर अल्ट्रावायलेट लाइट या ओजोन का उपयोग करके कीटाणुरहित किया जाएगा।

(4) जल आपूर्ति प्रणाली में सक्रिय कार्बन फिल्टर, एथिलीन डायमीन टेट्रा एसिटिक एसिड तथा तापमान और लवणता विनियमन का उपयोग शामिल होगा।

4. **जल शोधन और अपशिष्ट जल का निस्सारण-** (1) हैचरी से निस्सारित जल को अस्थायी रूप से रोक लिया जाएगा तथा उसके निस्सारण से पूर्व हाइपोक्लोराइट घोल (>20 पीपीएम सक्रिय क्लोरीन, कम से कम साठ मिनट के लिए) या अन्य प्रभावी कीटाणुनाशक से शोधित किया जाएगा।

(2) सुविधा में उपयोग किए जाने वाले समुद्री जल को एक भंडारण टैंक में पहुंचाया जाएगा, जहां इसे हाइपोक्लोराइट घोल (20 पीपीएम सक्रिय घटक कम से कम तीस मिनट के लिए) के साथ शोधित किया जाएगा, इसके पश्चात् सोडियम थायोसल्फेट (अवशिष्ट क्लोरीन के प्रत्येक पीपीएम के लिए 1 पीपीएम) या ओजोनेशन और मजबूत एयरेशन का उपयोग किया जाएगा।

(3) कोई भी अपशिष्ट जल क्लोरीनीकरण और डी-क्लोरीनीकरण के बिना हैचरी से बाहर नहीं छोड़ा जाएगा, ताकि रोगजनकों या परजीवियों को प्राकृतिक जल में जाने से रोका जा सके और बहिःस्राव शोधन प्रणाली को प्राधिकरण द्वारा विनिर्दिष्ट अनुसार डिजाइन किया जाएगा।

5. **उपकरणों का कीटाणुशोधन -** (1) प्रयुक्त कंटेनरों और होज़ों को और उपयोग से पहले हाइपोक्लोराइट घोल (>50 पीपीएम) से धोया और कीटाणुरहित किया जाएगा।

(2) प्रत्येक ब्रूडस्टॉक और लार्वल रियरिंग टैंक में उपकरणों का एक पृथक सेट होगा, जिसे स्पष्ट रूप से चिह्नित किया जाएगा और टैंक के पास रखा जाएगा और प्रत्येक दिन के उपयोग के अंत में सभी उपकरणों का कीटाणुशोधन किया जाएगा।

6. **ब्रूडस्टॉक संग्रहण - (1)** संग्रहण और परिवहन स्ट्रैस मुक्त होगा और मत्स्यन का स्थान तट से यथासंभव दूर होगा।

(2) परिपक्व नर और मादा ब्रूडस्टॉक उपाप्त किया जाएगा।

(3) सभी ब्रूडरों को क्रॉस संदूषण (कंटेमिनेशन) से बचने के लिए अलग-अलग पैक किया जाएगा और उन्हें उपयुक्त वातन (एरेशन) कनेक्शन की सुविधा के साथ इन्सुलेटेड वाहनों में ले जाया जाएगा।

(4) हैचरी में पहुंचने पर, ब्रूडस्टॉक को टैंकों में स्टॉक करने से पहले एक मिनट के लिए 100 पीपीएम पोटेशियम परमैंगनेट ($kmno_4$) या तरल पोविडोन के साथ शोधित किया जाएगा।

(5) ब्रूडस्टॉक रोगाणुओं, क्षति या विकृतियों से मुक्त होगा, उन्हें ऑक्सीजन युक्त जल में ब्रूडस्टॉक बैग में अलग-अलग पैक करके सुविधा तक ले जाया जाएगा।

(6) प्रजनन में बाधा से बचने के लिए इन स्टॉक के स्रोत का ट्रेसेबिलिटी अभिलेख बनाए रखा जाएगा।

7. **संगरोध -** (1) हैचरी प्रचालक एक उचित और पूर्णतः जैव-सुरक्षित सुविधा स्थापित करेगा।

(2) संग्रहित ब्रूडस्टॉक को हैचरी में प्रविष्ट कराने से पूर्व इस आंतरिक सुविधा में संगरोधित किया जाएगा।

(3) घरेलू ब्रूडस्टॉक की दशा में, आवधिक रोग निगरानी की जाएगी।

(4) संगरोध निस्सारण जल को बहिःस्राव शोधन प्रणाली में छोड़ने से पूर्व अलग से शोधित किया जाएगा।

(5) विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन द्वारा सूचीबद्ध रोगाणुओं और भारत से संबंधित रोगाणुओं की स्क्रीनिंग की जाएगी।

(6) संगरोध अवधि के दौरान, स्क्रीनिंग के लिए अलग-अलग ब्रूडर से गैर-घातक पद्धतियों (प्लियोपोड या मल पदार्थ) का उपयोग करके नमूने एकत्र किए जा सकेंगे।

(7) नमूने को सुसंगत रोगाणुओं के परीक्षण के लिए नीलांकराय स्थित जलीय संगरोध सुविधा प्रयोगशाला या भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-केन्द्रीय खारा जलकृषि संस्थान की प्रयोगशाला या किसी अन्य प्रत्यायित प्रयोगशाला को भेजा जाएगा।

(8) नमूने की परीक्षण रिपोर्ट के आधार पर, यदि कोई रोगाणु नहीं पाया जाता है, तो संगरोधित झींगा को संगरोध अवधि के पश्चात् ब्रूडस्टॉक होल्डिंग टैंक में स्थानांतरित कर दिया जाएगा।

(9) किसी भी सुसंगत रोगाणु का पता चलने की स्थिति में, नमूने को विधिमान्यता/पुष्टिकरण के लिए रेफरल प्रयोगशाला के रूप में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद-केन्द्रीय खारा जलकृषि संस्थान को भेजा जाएगा।

(10) पुष्टिकरण होने की स्थिति में, इकाई प्रचालक संक्रमित स्टॉक को समुचित पद्धति का पालन करते हुए नष्ट कर देगा तथा प्राधिकरण को रिपोर्ट करेगा।

8. **ब्रूडस्टॉक रखरखाव.-** (1) ब्रूडस्टॉक को विशेषतः ऐसे टैंकों में पाला जाना चाहिए जिनमें उसके संचलन के लिए पर्याप्त स्थान हो।

(2) तटीय जलकृषि को विनियमित करने के लिए मार्गदर्शक सिद्धांतों के पैरा 4 में यथाविनिर्दिष्ट जल गुणवत्ता मापदंडों के अनुसार लवणता, तापमान, पीएच, घुलित ऑक्सीजन, कुल अमोनिया और नाइट्राइट को बनाए रखा जाएगा और नियमित रूप से निगरानी की जाएगी।

(3) ब्रूडस्टॉक को विनिर्दिष्ट रोगज़नक़ मुक्त पॉलीचेट, फ्रोजन स्क्विड और तैयार परिपक्व फ़ीड खिलाया जाएगा।

(4) बेहतर जल गुणवत्ता के लिए प्रवाह प्रणाली या वाटर सर्कुलेटरी सिस्टम का रख- रखाव किया जाएगा।

(5) सफल अंडजनन के लिए प्राकृतिक स्थितियों का अनुकरण करने हेतु मैचुरैशन सेक्शन को अंधेरे और शोर मुक्त वातावरण से अलग किया जाएगा।

9. **बीज उत्पादन और विक्रय.- (1)** उक्त नियमों के नियम 18 के उपनियम (1) के खंड (ग) के अधीन विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध औषधीय रूप से सक्रिय पदार्थ और एंन्टीमाइक्रोबियल एजेन्टों का उपयोग बीज उत्पादन में नहीं किया जाएगा।

(2) नौप्ली केवल उन हैचरियों को बेचा जाएगा, जो इन मार्गदर्शक सिद्धांतों के पैरा 2 में विनिर्दिष्ट जैव सुरक्षा प्रोटोकॉल का पालन करती हैं और जिन्हें स्वदेशी झींगा के बीज पालन के लिए प्राधिकरण द्वारा अनुमति दी गई है।

(3) बिक्री के लिए पोस्ट-लार्वा अवस्था तक नौप्ली पालन करने वाली हैचरी, प्राप्त नौप्ली की संख्या और उत्पादित और बेचे गए पोस्ट-लार्वा का अभिलेख रखेंगी और नियमित आधार पर प्राधिकरण को प्ररूप- ञ-1 में अपनी त्रैमासिक अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगी, ऐसा न करने पर हैचरी की भविष्य में नौप्ली प्राप्त करने की मान्यता रद्द कर दी जाएगी।

(4) पोस्ट-लार्वा केवल उन किसानों को बेचा जाएगा, जिन्होंने विनिर्दिष्ट रूप से स्वदेशी प्रजातियों के पालन के लिए प्राधिकरण के पास रजिस्ट्रीकरण कराया है।

(5) प्राधिकरण द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की एक प्रति, हैचरी प्रचालक द्वारा निरीक्षण के लिए रखी जाएगी।

(6) बीज उत्पादन के साथ बिक्री का विस्तृत अभिलेख, क्रेता या किसान का नाम और पता सहित, रखा जाएगा।

10. **रोग की रिपोर्टिंग और अभिलेख का रखरखाव.-** (1) हैचरी में किसी बिमारी के प्रकोप की रिपोर्ट तुरंत प्राधिकरण को दी जाएगी।

(2) हैचरी ब्रूडस्टॉक की उपाप्ति का अभिलेख रखेगी, जिसमें स्रोत, उपाप्त की गई मात्रा, मृत्यु संख्या , उत्पादित अंडे, उत्पादित नौप्ली, उत्पादित पोस्ट-लार्वा, बेचे गए पोस्ट-लार्वा, जिस किसान को बेचा गया उसका नाम और पता, प्राधिकरण द्वारा जारी रजिस्ट्रीकरण और अनुमति प्रमाणपत्र की तारीख और संख्या का ब्यौरा होगा और तिमाही अनुपालन रिपोर्ट इन मार्गदर्शक सिद्धांतों के प्ररूप ञ-1 में प्राधिकरण को प्रस्तुत की जाएगी ।

11. **निरीक्षण.-** प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत व्यक्ति आवधिक तौर पर दौरा करेगा और ब्रूडस्टॉक, बीज उत्पादन और बिक्री की प्रास्थिति की जांच करेगा।

12. **बैंक प्रत्याभूति.-** अनुमोदित हैचरी को मॉनीटरी फीस के रूप में पचास हजार रुपए का संदाय करना होगा तथा इन मार्गदर्शक सिद्धांतों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उक्त नियमों के अनुसरण में तटीय जलकृषि प्राधिकरण के पक्ष में दो लाख रुपये की बैंक प्रत्याभूति जमा करनी होगी तथा किसी उल्लंघन की स्थिति में बैंक प्रत्याभूति लागू की जाएगी।

भाग II

फार्मों के अनुमोदन और प्रचालन के लिए मानदंड और विनियम

1. **फार्मों के लिए पात्रता मानदंड.-** (1) जलकृषि किसान, उक्त नियमों के प्ररूप 1 में, संबद्ध उप-मंडल स्तरीय समिति या जिला स्तरीय समिति को आवेदन प्रस्तुत करेंगे, जिसके साथ उक्त नियमों की अनुसूची 2 में यथाविनिर्दिष्ट अपेक्षित दस्तावेज संलग्न करेंगे तथा उक्त नियमों के नियम 9 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसरण में स्वदेशी झींगा के फार्मों के रजिस्ट्रीकरण के लिए उक्त नियमों की अनुसूची 1 में यथाविनिर्दिष्ट रजिस्ट्रीकरण फीस का संदाय करेंगे।

(2) प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत निरीक्षण दल उक्त नियमों के नियम 10 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार फार्म का निरीक्षण करेगा और स्वदेशी झींगा के फार्मिंग के लिए सुविधा की उपयुक्तता के संबंध में अपनी सिफारिश के आधार पर स्वदेशी झींगा फार्मिंग के लिए फार्मों को रजिस्ट्रीकृत करने हेतु प्राधिकरण के विचारार्थ आवेदनों पर प्राधिकरण के सचिव द्वारा कार्रवाई की जाएगी।

(3) फार्मों में जैव सुरक्षा उपाय जैसे बाड़ लगाना, जल शोधन के लिए जलाशय तालाब, बर्ड-स्केर, प्रत्येक तालाब के लिए अलग उपकरण आदि, स्थापित किए जाएंगे, तथा उनका प्रबंधन ऐसे कार्मिकों द्वारा किया जाएगा जो जैव सुरक्षा उपायों के प्रबंधन में प्रशिक्षित या अनुभवी हों।

2. **जल निस्सारण प्रोटोकॉल.- (1)** किसी भी बीमारी के प्रकोप के मामले में, डिस्ट्रेस हार्वेस्टिंग केवल जाल के माध्यम से की जाएगी और जल निकासी प्रणाली में छोड़ने से पहले जल को क्लोरीनयुक्त और डीक्लोरीनयुक्त किया जाएगा।

(2) अपशिष्ट जल को कम से कम दो दिनों तक प्रवाह जल शोधन प्रणाली में रखा जाएगा और किसी भी बीमारी के प्रकोप की स्थिति में, जल निकासी प्रणाली में निस्सारण से पूर्व प्रवाह जल शोधन प्रणाली में कीटाणुशोधन प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा।

(3) जो फार्म शून्य जल विनिमय प्रणाली का पालन करते हैं, वे स्वदेशी प्रजातियों के साथ झींगा पालन भी कर सकते हैं।

3. **जैव सुरक्षा महत्व.- (1)** स्वदेशी झींगा पालन के लिए अनुमोदित फार्मों को उसी फार्म में विनिर्दिष्ट रोगाणु मुक्त प्रजातियों के एक साथ पालन की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(2) एक प्रजाति से दूसरी प्रजाति में पालन स्थानांतरित करने के लिए, इस प्रयोजन के लिए प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर जारी किए गए सन्नियमों के अनुसरण में तालाब तैयार करने के दौरान उन्हें सूखा बनाए रखा जाएगा।

4. स्वदेशी झींगा पालन के लिए सन्नियम.- स्वदेशी झींगा पालन के लिए निम्नलिखित सन्नियम लागू होंगे, अर्थात:-

(1) परीक्षित और प्रमाणित बीज केवल स्वदेशी झींगा उत्पादन के लिए अधिकृत हैचरी से ही उपाप्त किया जाएगा ।

(2) पारंपरिक मिट्टी के तालाब प्रणालियों के लिए स्टॉकिंग घनत्व पी. इंडिकस के मामले में 60 सख्या/एम2 और अन्य सभी स्वदेशी प्रजातियों के लिए 30 संख्या/एम2 से अधिक नहीं होगा।।

(3) अपशिष्ट जल मानकों का सख्ती से अनुपालन अनिवार्य होगा और प्रत्येक मामले में प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत निरीक्षण दल, तटीय जलकृषि प्राधिकरण विनियम, 2008 में अधिकथित प्रक्रिया के अनुसार अपशिष्ट जल की गुणवत्ता की मॉनीटरी करेगा।

(4) उक्त नियमों के नियम 18 के उपनियम (1) के खंड (ग) में विनिर्दिष्ट प्रतिषिद्ध औषधीय रूप से सक्रिय पदार्थ और रोगाणुरोधी एजेन्टों का उपयोग नहीं किया जाएगा।

5. फार्म पर अभिलेखों का रखरखाव.- (1) किसान उस हैचरी, जहां से उन्होंने बीज उपाप्त किया है, के नाम और पते का विस्तृत अभिलेख रखेंगे, जिसमें उपाप्त की गई मात्रा, हैचरी की वैध रजिस्ट्रीकरण संख्या और तारीख का उल्लेख होगा।

(2) किसान उत्पादित की गई और बेची गई झींगा की मात्रा तथा प्रसंस्करणकर्ता या प्रतिनिधि या अभिकर्त्ता, जिसे झींगा बेचा गया है, का नाम और पता दर्ज करेंगे ।

(3) निरीक्षण के दौरान फार्म का अभिलेख प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत निरीक्षण दल को उपलब्ध कराया जाएगा।

6. उल्लंघन के लिए शास्ति उक्त अधिनियम और उसके अधीन बनाए गए नियमों के अनुसार होगी।

प्ररुप ञ-1

[भाग-1, पैरा 9 (3) और 10 (2) देखिए]

हैचरी से प्रस्तुत की जाने वाली तिमाही अनुपालन रिपोर्ट का रूपविधान

रिपोर्ट में निम्नलिखित जानकारी शामिल होंगी, अर्थात:-

1. हैचरी का नाम और पता
2. रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र की तारीख और संख्या
3. उपाप्त किए गए ब्रूडस्टॉक की संख्या, नर और मादा
4. ब्रूडस्टॉक का स्रोत
5. परिवहन के दौरान मृत्यु दर
6. संगरोध के दौरान मृत्यु दर
7. अंडजनन की कुल संख्या
8. उत्पादित अंडों की कुल संख्या

9. उत्पादित नौप्ली की कुल संख्या

10. उत्पादित पोस्ट लार्वा की कुल संख्या

11. सामान्य जलीय स्वास्थ्य मॉनीटरी और किसी भी असामान्य मृत्यु दर पर रिपोर्ट

12. किसानों को बेचे गए पोस्ट लार्वा की कुल संख्या

13. जिन किसानों को बिक्री की गई है उनका विवरण (नाम, पता, रजिस्ट्रीकरण संख्या की जानकारी शामिल होगी) और तटीय जलकृषि प्राधिकरण द्वारा जारी स्वदेशी झींगा पालन के लिए रजिस्ट्रीकरण प्रमाण पत्र की प्रति।

[फा. सं. जे-1903336/2/2024-डीओएफ (ई-23648)]

नीतू कुमारी प्रसाद, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDRY AND DAIRYING
(Department of Fisheries)
Notification

New Delhi, the 26th June, 2025

S.O. 2903(E).— In pursuance of the section 3 of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 (24 of 2005), read with clause (j) of rule 3 of the Coastal Aquaculture Authority Rules, 2024, the Central Government hereby notifies the following guidelines for indigenous shrimp which includes both *Penaeus indicus*, *P. monodon, P. semisulcatus, P. mergueinsis, P. japonicus* and any other indigenous species permitted by the Central Government, namely:-

1. Short title and commencement.- (1) These guidelines may be called the Hatcheries and Farms for Seed Production and Culture of Indigenous Shrimp in Marine and Brackishwater Guidelines, 2025.

(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

PART I

Safeguards and regulations for operation of hatcheries for indigenous shrimp

1. Application criteria for registration of hatchery for indigenous shrimp.- (1) Hatcheries engaged or intending to be engaged in indigenous shrimp seed production having the required biosecurity facilities and in-house quarantine facility as specified by the Coastal Aquaculture Authority shall be eligible to apply for registration under the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 (24 of 2005) (hereinafter refereed as the said Act) and the Coastal Aquaculture Authority Rules, 2024 (hereinafter referred as the said rules) to procure indigenous shrimp broodstock or to acquire from indigenous domesticated source and to produce and sell nauplii or post larvae of these shrimp.

(2) The hatchery operator shall submit an application in Form II of the said rules to the Authority duly enclosing therewith the required documents as specified in the Schedule II of the said rules and payment of registration fee of rupees ten thousand for registration of hatchery in accordance with the procedure laid down in rule 9 of the said rules.

(3) Approval of the hatchery for rearing indigenous shrimp seed shall be given by the Authority after due inspection of the hatchery facilities by a team constituted by the Authority for this purpose in accordance with the procedure laid down in rule 11 of the said rules.

(4) The hatchery facilities shall have strict biosecurity control through physical separation or isolation of the different production facilities or isolation through the construction of barriers and implementation of process and product flow controls.

(5) The hatchery facility shall have a wall or fence around the periphery of the premises, with adequate height to prevent the entry of animals and unauthorised persons to help reduce the risk of pathogen introduction by this route, as well as improve overall security.

2. **Sanitary requirement.-** (1) Entry to the hatchery shall be restricted to the personnel assigned to work exclusively in this area and a record of personnel entering the facility be maintained by the security personnel.

(2) The entry of any person including staff shall be allowed compulsorily after taking shower and wearing working clothes and boots before entering into facility and the same procedure shall be followed at the end of the working shift.

(3) A provision shall be made for disinfection of vehicle tyres (tyre baths at the gate with > 100 ppm of active ingredients Sodium/calcium hypochlorite solution), feet (foot baths containing 50 ppm of Potassium permanganate/ 20 ppm of hypochlorite solution), and hands [bottles containing iodine-PVP (20 ppm and / or 70% alcohol)] to be used upon entering and exiting the unit.

(4) All the cleaning chemicals, sanitary chemicals and other inputs materials shall be stored separately with proper labelling outside the production area.

(5) Hatchery surrounding shall be maintained hygienically throughout the production cycle without any accumulation of waste materials.

3. **Water intake.-** (1) Each functional unit of the hatchery shall have independent water treatment facility isolated from all other water supply systems and separate recirculation systems may be used for each functional unit of hatchery to reduce water usage and improve biosecurity, especially in high-risk areas.

(2) Water for the hatchery shall be filtered and treated to prevent the entry of vectors and pathogens that may be present in the source water by initial filtering through sub-sand well points, sand filters (gravity or pressure), or mesh bag filters, into the first reservoir or settling tank.

(3) After primary disinfection by chlorination or ozonation and after settlement, the water shall be filtered again with a finer filter and then disinfected using ultraviolet light or ozone.

(4) The water supply system shall include the use of activated carbon filters, ethylene diamine tetra acetic acid and temperature and salinity regulation.

4. **Water treatment and discharge of wastewater.-** (1) The discharged water from the hatchery shall be held temporarily and treated with hypochlorite solution (>20 ppm active chlorine for not less than sixty minutes) or other effective disinfectant prior to discharge.

(2) The seawater to be used in the facility shall be delivered into a storage tank where it shall be treated with hypochlorite solution (20 ppm active ingredient for not less than thirty minutes) followed by sodium thiosulphate (1 ppm for every ppm of residual chlorine) or ozonation and strong aeration.

(3) No wastewater shall be released out of the hatchery without chlorination and dechlorination, so as to prevent the escape of the pathogens or parasites into the natural waters and Effluent Treatment System shall be designed as specified by the Authority.

5. **Disinfection of implements.-** (1) Used containers and hoses shall be washed and disinfected with hypochlorite solution (> 50 ppm) before further use.

(2) Each broodstock and larval rearing tanks shall have a separate set of implements which shall be clearly marked and placed near the tanks and disinfection of all the implements shall be done at the end of each day's use.

6. **Broodstock collection.-** (1) The collection and transportation shall be stress free and the fishing ground shall be as far as from the coast.

(2) The matured male and female broodstock shall be procured.

(3) All brooders shall be packed individually to avoid cross contamination and may be transported in insulated vehicles with a facility for suitable aeration connection.

(4) Upon arrival at the hatchery, the broodstock shall be treated with 100 ppm KMnO4 or liquid povidone for one minute before being stocked in the tanks.

(5) The broodstock shall be free from pathogens, injuries or deformities, may be transported to the facility with individually packed in broodstock bags in oxygenated water.

(6) Record on the traceability of the source of these stocks shall be maintained to avoid in breeding.

7. **Quarantine.-** (1) the hatchery operator shall establish a proper and fully bio-secured facility.

(2) Broodstock collected shall be quarantined in this in-house facility before entry in to hatchery.

(3) In case of domesticated broodstock, periodic disease surveillance shall be carried out.

(4) Quarantine discharge water shall be treated separately before releasing into effluent treatment system.

(5) Screening for World Organisation for Animal Health listed pathogens and pathogens of concern to India shall be done.

(6) During quarantine period, samples may be collected using non-lethal methods (pleopod or faecal matter) from individual brooders for screening.

(7) The sample shall be referred to Aquatic Quarantine Facility laboratory at Neelankarai or Indian Council of Agricultural Research- Central Institute of Brackishwater Aquaculture laboratory or any other accredited laboratory for testing of relevant pathogens.

(8) Based on the test report of the sample, the quarantined shrimp shall be shifted to broodstock holding tanks after the quarantine period, if no pathogen is detected.

(9) In the event of detection of any relevant pathogen, the sample shall be sent to Indian Council of Agricultural Research- Central Institute of Brackishwater Aquaculture as referral lab for validation/confirmation.

(10) In case of confirmation, the unit operator shall destruct the infected stock duly following the appropriate method and report to the Authority.

8. **Broodstock Maintenance.-** (1) The broodstock shall be preferably reared in tanks having adequate space for its movement.

(2) Salinity, temperature, pH, dissolved oxygen, total ammonia, and nitrite shall be maintained as per water quality parameters as specified in the para 4 of the Guidelines for regulating coastal aquaculture and have to be monitored regularly.

(3) Broodstock shall be fed with specific pathogen free Polychaete, frozen squid and formulated maturation feed.

(4) A flow through system or water recirculatory system may be maintained for better water quality.

(5) Maturation section shall be isolated with dark and noise free environment to simulate natural conditions for successful spawning.

9. **Seed production and sale.- (1)** Prohibited Pharmacologically active substances and antimicrobial agents as specified under clause (c) of sub-rule (1) of rule 18 of the said rules shall not be used in the seed production.

(2) Nauplii shall be sold only to the hatcheries permitted by the Authority to rear the seed of indigenous shrimp following biosecurity protocols as specified in para 2 of these guidelines.

(3) Hatcheries rearing nauplii to the post-larvae stage for sale shall maintain record of the number of nauplii received and the post-larvae produced and sold and submit in their quarterly compliance reports in Form J-1 to the Authority on a regular basis, failing which the hatcheries shall be derecognised to receive nauplii in future.

(4) Post-larvae shall be sold only to the farmers who have registered with the Authority specifically for the culture of indigenous species.

(5) A copy of the certificate of registration issued by the Authority shall be retained by the hatchery operator for inspection.

(6) The detailed record of the seed production as well as sale including the name and address of the buyer or farmer shall he maintained.

10. Disease reporting and record maintenance.- (1) Any disease outbreak in the hatchery shall be reported immediately to the Authority.

(2) The hatcheries shall maintain a record of the procurement of broodstock with details of source, quantity procured, the number of mortality, eggs produced, nauplii produced, post-larvae produced, post-larvae sold, name and address of the farmer to whom sold, date and number of the registration and permission certificate issued by the Authority and quarterly compliance report shall be submitted to the Authority in Form J-1 of these guidelines.

11. Inspection.- A person authorised by the Authority shall periodically visit and check the status of the broodstock, the seed production and sale.

12. Bank guarantee.- The approved hatcheries shall pay rupees fifty thousand towards monitoring fee and deposit a bank guarantee for two lakh rupees in favour of the Coastal Aquaculture Authority in accordance with the said rules, to ensure compliance with these guidelines and in the event of any violation, the bank guarantee shall be invoked.

PART II

Norms and Regulations for Approval and Operation of Farms

1. Eligibility criteria for farms.- (1) Aquaculture farmers shall submit an application in Form I of the said rules to the Sub Divisional Level Committee or District Level Committee concerned duly enclosing therewith the required documents as specified in the Schedule II of the said rules and payment of registration fee as specified in the Schedule I of the said rules for registration of farms of indigenous shrimp in accordance with the procedure laid down in rule 9 of the said rules.

(2) The inspection team authorised by the Authority shall inspect the farm as per the procedure laid down in rule 10 of the said rules and based on its recommendation regarding the suitability of the facility for farming of indigenous shrimp, applications shall be processed by the Secretary of the Authority, for consideration of the Authority for registering the farms for farming of indigenous shrimp.

(3) Farms shall establish the biosecurity measures such as fencing, reservoir ponds for water treatment, bird-scare, separate implements for each of the ponds etc., and be managed by personnel who are trained or experienced in the management of biosecurity measures.

2. Water discharge protocols.- (1) In case of any outbreak of disease, distress harvesting shall only be done through netting and the water shall be chlorinated and dechlorinated before release into drainage system.

(2) Wastewater shall be retained in the Effluent Treatment System for a minimum period of two days and in case of any outbreak of disease, disinfection protocols shall be followed in the Effluent Treatment System before discharging into the drainage system.

(3) Farms which follow Zero Water Exchange system of farming may also take up shrimp farming with indigenous species.

3. Biosecurity considerations.- (1) Farms approved for culture of indigenous shrimp shall not be permitted for simultaneous farming of Specific Pathogen Free species in the same farm.

(2) For shifting culture from one species to another, dry out period shall be maintained during pond preparation in accordance with the norms issued by the Authority for this purpose from time to time.

4. Norms for culture of indigenous shrimp.- The following norms shall be applied for culture of indigenous shrimp, namely:-

(1) Tested and certified seed shall be procured only from hatcheries authorised for production of indigenous shrimp.

(2) Stocking densities shall not exceed 60 no. / m2 incase of *P. indicus* and 30 no/m2 for all other indigenous species for conventional earthen pond systems.

(3) Strict compliance with the wastewater standards shall be mandatory requirement and inspection team authorised by the Authority in each case shall monitor the quality of wastewater as per the procedure laid down in the Coastal Aquaculture Authority Regulations, 2008.

(4) Prohibited pharmacologically active substances and antimicrobial agents as specified in clause (c) of sub-rule (1) of rules 18 of the said rules shall not be used.

5. Record maintenance at farms.- (1) The farmers shall maintain a detailed record of the name and address of the hatchery from where they procured the seed, including quantity procured, number and date of the valid registration of the hatchery.

(2) The farmers shall record the quantity of shrimp produced, sold, and the name and address of the processor or representative or agent to whom sold.

(3) The farm record shall be made available to the inspection team authorised by the Authority during inspection.

6. Penalty for violation shall be in accordance with the said Act and rules made thereunder.

Form J-1

[See Part-I, paragraph 9 (3) and 10 (2)]

Format for quarterly compliance report from hatcheries

The report shall contain the following information, namely:-

1. Name and Address of the hatchery
2. Date and number of certificate of registration
3. Number of broodstock procured, males and females
4. Source of the broodstock

5. Transport mortality

6. Quarantine mortality

7. Total number of spawning's

8. Total number of eggs produced

9. Total number of nauplii produced

10. Total number of post larvae produced

11. Report on general aquatic health monitoring and any unusual mortality

12. Total number of post larvae sold to the farmers

13. Details of the farmers to whom sold (shall include information on the name, address, registration number) and copy of the registration certificate for culturing of indigenous shrimp issued by Coastal Aquaculture Authority.

[F. No. j-1903336/2/2024-DOF (E-23648)]

NEETU KUMARI PRASAD, Jt.Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.07.02 14:37:48 +05'30'

रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-07022026-269942
CG-DL-E-07022026-269942

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 523] नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी 4, 2026/माघ 15, 1947
No. 523] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 4, 2026/MAGHA 15, 1947

मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय

(मत्स्यपालन विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जनवरी, 2026

का.आ. 552(अ).— केन्द्रीय सरकार तटीय जलकृषि प्राधिकरण नियम, 2024 के नियम 3 के खंड (ञ) के साथ पठित तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधिनियम, 2005 (2005 का 24) की धारा 3 के अनुसरण में, समुद्री और खारे पानी में स्वदेशी श्रिम्प के बीज उत्पादन और पालन के लिए हैचरी और फॉर्म्स दिशानिर्देश, 2025 (जिन्हें यहां "उक्त दिशा-निर्देश" कहा गया है) में निम्नलिखित अतिरिक्त संशोधन करती है, अर्थात् :-

1. उक्त दिशा-निर्देशों में,-

(क) आरंभिक अनुच्छेद में , "दोनों" और "पी. मोनोडोन" शब्दों को हटा दिया जाएगा।

(ख) प्रारंभिक अनुच्छेद के पश्चात, निम्नलिखित स्पष्टीकरण जोड़ा जाएगा, अर्थात्:-

"**स्पष्टीकरण**: इस अधिसूचना के प्रयोजनों के लिए, "स्वदेशी झींगा" में पी. मोनोडॉन शामिल है, जिनके लिए विशेष रोग मुक्त स्वदेशी स्टॉक्स पहले से ही देश में उपलब्ध हैं । पी. मोनोडोन की जलकृषि, **दिनांक 15 मार्च 2024 की अधिसूचना संख्या S.O. 1459(E)** के माध्यम से जारी **भारत में न्यूक्लियस ब्रीडिंग सेंटर तथा ब्रूडस्टॉक मल्टीप्लिकेशन सेंटर की स्थापना एवं संचालन के लिए दिशा-निर्देश '** के अनुसार ही कड़ाई से की जाएगी"।

(ग) जहां कहीं भी "ब्रूडस्टॉक" शब्द प्रयुक्त हुआ है, उसके स्थान पर "वाइल्ड स्टॉक" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

(घ) **भाग–1 में, अनुच्छेद 7** के **उप-अनुच्छेद (7)** में, शब्द, "नीलांकराय स्थित जलीय संगरोध सुविधा प्रयोगशाला या" शब्दों को हटा दिया जाएगा।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से लागू होगी।

[फा. सं. जे-1903336/2/2024-DOF (E-23648)]

सागर मेहरा, संयुक्त सचिव

टिप्पणी - मूल अधिसूचना दिनांक 30 जून, 2025 को भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- II, खंड 3, उप-खंड (ii) में संख्या का.आ. 2903 (अ) के तहत प्रकाशित की गई थी।

MINISTRY OF FISHERIES, ANIMAL HUSBANDARY AND DAIRYING

(Department of Fisheries)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th January, 2026

S.O. 552(E).— In pursuance of section 3 of the Coastal Aquaculture Authority Act, 2005 (24 of 2005), read with clause (j) of rule 3 of the Coastal Aquaculture Authority Rules, 2024, the Central Government hereby makes the following further amendments to the Hatcheries and Farms for Seed Production and Culture of Indigenous Shrimp in Marine and Brackishwater Guidelines, 2025 (hereinafter referred to as the said guidelines), namely**:-**

1. In the said guidelines, -

(a) in the opening paragraph, the words "both" and "*P. Monodon*," shall be omitted.

(b) after the opening paragraph, the following Explanation shall be inserted, namely: -

"**Explanation**: for the purposes of this notification, "indigenous shrimp" includes *P. monodon* for which specific pathogen free domesticated stocks are already available in the country. The aquaculture of *P. monodon* shall strictly be practiced as per the 'Guidelines for the establishment and operation of Nucleus Breeding Centres and Broodstock Multiplication Centres in India' issued vide notification number S.O. 1459(E) dated 15th March, 2024."

(c) for the word "broodstock" wherever it occurs, the words "wild stock" shall be substituted.

(d) in PART-1, in paragraph 7, in sub-paragraph (7), the words "Aquatic Quarantine Facility laboratory at Neelankarai or" shall be omitted.

2. This notification shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

[F. No. j-1903336/2/2024-DOF (E-23648)]

SAGAR MEHRA, Jt. Secy.

Note.- The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, section 3, sub-section (ii) vide number S.O. 2903(E), dated the 30th June, 2025.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.
SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Digitally signed by SARVESH KUMAR SRIVASTAVA Date: 2026.02.07 16:47:59 +05'30'